निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 33 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड सिचाई विभाग देहरादून**, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड, सिचाई विभाग देहरादून** के माह 08/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक, श्री पंकज कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 01/08/2018 से 10/08/2018 तक श्री एस के त्यागी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी के श्रीवास्तव व सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 9/08/2017 से 22/8/17 तक श्री जे एम एस रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 8/2016 से 7/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2017 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः सिचाई विभाग का कार्य यह की निर्माण कार्य के रूप मे सम्पन्न कराना तथा अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखंड ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-16	-	-	1027.86	1027.86	4743.76	4743.72	-	00.04
2016-17	-	-	216.05	216.05	5364.54	5178.55	-	185.99
2017-18	-	-	326.00	326.00	1048.98	1033.82	-	15.16

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत , राज्य सरकार है ।

(iv) श्रेणी (जिस श्रेणी के अन्तर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। इकाई की श्रेणी "A" है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्शित किया जाय)

(1) सचिव , सिचाई विभाग उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, गड़वाल क्षेत्र स्तर -2, मुख्य अभियंता, कुमायु हल्द्वानी, मुख्य अभियंता प्रशिक्षण संस्थान कालागड़,मुख्य अभियंता परियोजना गड़वाल यमुना कालोनी देहारादून, मुख्य अभियंता परिकल्प रुड़की , मुख्य अभियंता यांत्रिक देहरादून, अधीक्षण अभियंता, नलकूप मण्डल देहारादून ।

(4) अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मण्डल रुद्रप्रयाग (5) अधिशासी अभियंता

(6) सहायक अभियंता

(7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्क सहायक ।

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड सिचाई विभाग देहरादून को (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के

निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, नलकूप खंड सिचाई विभाग देहरादून, (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह .... 10/2017 एव 02/2018..... को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... "व्यय के आधार पर"..... के आधार पर किया गया।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 29/7/2018 से 29/7/18 तक निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2013 तथा 9/2014 तक की गई।
5. फार्म 51: माह ... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम ..74522=25

   भाग द्वितीय .. (-) 1603242=71
6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह .. के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम... 3874518

   (ख) सामग्री क्रय....शून्य

   (ग) नगद परिशोधन....8585201

   (घ) निक्षेप.... (रु मे) 9841564

   (ङ) भण्डार.... ---------

भाग 2 'अ'

प्रस्तर 1:– नलकूप निर्माण पर धनराशि रू0 58.23 लाख का निष्फल व्यय

फेल नलकूपों के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता (नलकूप अनुभाग) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञाप सं0–1354 दिनांक 19 अप्रैल 1996 में स्पष्ट किया गया था कि नलकूप के आंशिक रूप से फेल हो जाने पर नलकूप पर समय पर सुधारात्मक कार्यवाही न करने व नलकूप के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय समय पर न लिये जाने से जहां एक ओर कृषकों का विभाग से विश्वास उठता है वही दूसरी ओर नलकूप की जन वितरण प्रणाली उपयोग में न आने के कारण इसकी दशा खराब होती है। अतः नलकूप के आंशिक रूप से फेल होने की तिथि से अधिकतम चार माह के भीतर नलकूप के फेल होने का प्रकरण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को प्रेषित कर दिया जाना चाहिए। शासकीय प्राविधानों के अनुसार किसी नलकूप को फेल अथवा आंशिक फेल घोषित किया जाने का प्रस्ताव निम्न शर्तो के अधीन प्रेषित किया जा सकता है:–

1. जब नलकूप 17 वर्ष अथवा 57,000 घंटे, इनमें से जो भी कम हो, की चलित अवधि पूर्ण कर चुका हो।
2. जब नलकूप की निकास दर वास्तविक निकास के 50 प्रतिशत से कम अथवा 15,000 गैलन प्रति घंटा से अधिक न हो।

नलकूप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच के दौरान संज्ञान में आया कि विकास खण्ड, सहसपुर के अन्तर्गत स्थापित स्लोटेड़ किस्म के नलकूप संख्या 126 डी0डी0 का निर्माण खण्ड द्वारा वर्ष 2009 में कराया गया था। नलकूप के पाईप की कुल लम्बाई 432 फीट व व्यास 12 इंच था। इसमें 65 हार्सपावर (एच0पी0) का पम्प सैट स्थापित किया गया था। नलकूप निर्माण से जुलाई 2012 तक इस नलकूप का निकास 12736 गैलन प्रति घंटा था, तत्पश्चात् असमान निकास के कारण नलकूप के वास्तविक निकास के आधार पर इसमें 10 हार्सपावर (एच0पी0) का पम्प सैट स्थापित किया गया था जिसका निकास 4890 गैलन प्रति घंटा था। अक्टूवर 2015 तक नलकूप इसी निकास पर संचालित रहा । अक्टूवर 2015 से नलकूप कुल 3946 घंटे चलने के उपरान्त पूर्णतः बन्द था। इस नलकूप से निर्माण से बन्द होन तक मात्र 71 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी थी जबकि शासकीय मानकानुसार इस नलकूप से खरीफ व रबी फसलों हेतु प्रति वर्ष 150 हैक्टेयर की दर से कुल 2550 हैक्टेयर (17 वर्षो तक) भूमि की सींच का न्यूनतम लक्ष्य था। इस प्रकार, नलकूप द्वारा सिंचाई लक्ष्य के सापेक्ष केवल 2.78 प्रतिशत भूमि की सींच की गयी थी। सन्दर्भित नलकूप मात्र 6 वर्ष संचालित रहा एवं इस नलकूप के द्वारा की गयी सिंचाई से रू0 0.11 लाख सिंचाई कर का निर्धारण किया गया था। अप्रैल 2016 में इस नलकूप को असफल घोषित किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रकरण अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल (यांत्रिक) देहरादून को प्रेषित किया गया था।

खण्ड के अभिलेखों की जांच के दौरान यह **तथ्य भी** प्रकाश में आया था कि खण्ड द्वारा नलकूप निर्माण के पूर्व न ही फील्ड़ सर्वे किया गया था, न ही निर्माण स्थल की भूगर्भीय जांच, रेजिस्टीविटी टेस्ट व लोगिंग टेस्ट करायें गये थे। नलकूप निर्माण के पश्चात् से इस नलकूप की निकास दर (Discharge Rate) कभी भी न्यूनतम मानक निकास दर (33750 गैलन प्रति घंटा) की **आधी** अथवा 15000 गैलन प्रति घंटा की दर के बराबर नही थी। बावजूद इसक नलकूप निर्माण को सफल माना गया व आंशिक फेल के बाद भी नलकूप को असफल घोषित किये जाने का प्रकरण खण्ड द्वारा लगभग 6 वर्ष पश्चात् उच्चाधिकारी को प्रेषित किया गया जबकि प्रकरण आंशिक फेल (निर्माण तिथि से) के 4 माह के

अन्दर प्रेषित किया जाना था। परिणाम स्वरूप खण्ड द्वारा जहां एक ओर नलकूप निर्माण पर धनराशि रू0 58.23 लाख का निरर्थक व्यय किया गया, वहीं दूसरी ओर नलकूप के आंशिक फेल का प्रकरण विलम्ब से प्रेषित किये जाने के कारण किसानों को विगत 8 वर्षो से सिंचाई का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नलकूप को स्थापित किया जा चुका था। ताकि नलकूप निर्माण पर किया गया व्यय अलाभकारी न हों अतः नलकूप को कम निकासी दर पर भी चलाया जाता रहा ।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योकि खण्ड द्वारा आवश्यक जांच के बिना नलकपू निर्माण पर जहां धनराशि 58.30 लाख का निरर्थक व्यय किया गया, वहीं दूसरी ओर आंशिक रूप से फेल नलकूप को 06 वर्षो तक अनावश्यक रूप से संचालित रखकर कृषि सींच के शासकीय उदेश्य की पूर्ति में अवरोध पैदा किया।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर सं.1 रू0 35.42 लाख का संविदाकारों को जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के विपरीत एस0जी0एस0टी0 एवं सी0जी0एस0टी0 का अधिक भुगतान किया जाना।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में " work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection, installation, fittingout, improvement, modification, repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of .....

Form GST INV – 1
(See Rule .....)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words) Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि का भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता। अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशाय से करता है, तो ऐसी शस्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड **देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 07/2017 से माह 05/2018 तक संविदाकार से बिना टैक्स इनवाइस

प्राप्त किये ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान एवं अतरिक्त रू0 3541776.00 जी0एस0टी0 कर की धनराशि किया गया था। जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिऐ था, साथ ही संविदाकारों को भुगतान की गयी धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सभी संविदाकार केवल वैट में ही रजिस्टर्ड थें,जबकि प्रावद्यानों के अनुसार उनकों सी0जी0एस0टी में भी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य था, तभी उनकों जी0एस0टी0 कर का भुगतान किया जा सकता था,यदि उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिल प्रस्तुत कर अलग से जी0एस0टी0 कर की मॉग की गई होती तो ही अन्यथा नही। संविदकार के द्वारा ना तो अलग से शिडुयल बी में कर की अलग से मॉग की गयी थी, और ना ही उसनें द्वारा अपनी टैक्स इन्वाइस जारी कर मॉग की गयी थी। फिर भी विभाग के द्वारा संविदाकारो को टैक्स धनराशि का अलग से भुगतान किया गया था, जोकि वस्तु एंव सेवाकर अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो के विरूद्व था। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट होता है, कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानो का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से कार्य संविदा की धनराशि एवं अलग से 12 प्रतिशत कर जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियमो के विरूद्व संविदाकारो को भुगतान की गयी संविदा एवं कर की धनराशि वसूली योग्य है। तथा उस पर धारा 122 (1) का (i),(xv) एवं अधिनियम की धारा 132(1) (क) के अनुसार अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

उपरोक्त के संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि वि0ह0 पु0 भाग–6 में निर्धारित देयक प्रपत्र पर ठेकेदार को भुगतान किया जाता है जिसमें ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की माप और दरें अंकित होती है जिस पर ठेकेदार के हस्ताक्षर होते है। अतः टैक्स इनवाइंस कार्य संविदा के सापेक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है। जी0एस0टी0 एक्ट 2017 के अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित दर 12 प्रतिशत के अनुसार भुगतान किया जाता है।

विभाग के द्वारा स्वंय ही स्वीकार किया गया है, कि संविदाकारों के द्वारा टैक्स इन्वाइस कार्य संविदा के सापेक्ष प्रस्तुत नही किया जाता है। जबकि वर्तमान में संविदाकारों को प्रचलित दर 12 प्रतिशत का अलग से भुगतान किया जाता है। विभाग की लापरवाही के कारण उन सभी संविदाकारों को जोकि वस्तु एवं सेवाकर में रजिस्टर्ड भी नही थे तथा जिनके द्वारा दी गयी निविदा दरों शिडुयल बी में भी कार्य की दी गयी दरों में अलग से 12 प्रतिशत जी0सी0टी0 की मॉग भी नही की गयी थी, उन सभी संविदाकारों को कार्य संविदा की धनराशि के अतिरिक्त अलग से 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 कर रू0 3541776.00 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था, जोकि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2017 एवं शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 05/09/2017 में उल्लिखित प्रावद्यानों के विरूद्व था, जिसकी वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2 'ब'

प्रस्तर–2 नलकूपों एवं लघुडाल नहरों (लिफ्टों) की सीच दर्ज न होने से शासन को धनराशि रू0 35.45 लाख के राजस्व की हानि।

रिसोर्स मोबलाईजेशन कमेटी की अप्रैल 2010 में आहुत बैठक के कार्यवृत्तानुसार, प्रमुख सचिव वित्त का स्पष्ट मत था कि नलकूप के चालन व रख रखाव की लागत गहन (Intensive) है अतः सिंचाई की दरों के पुन निर्धारण एवं उचित लागत वसूली को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

नलकूप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जांच में संज्ञान में आया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में खण्ड में कुल नलकूपों की संख्या 222 एवं लघु डाल नहरों (लिफ्टों) की संख्या–22 थी जिनमे से वर्तमान में 200 नलकूप व सभी लघु डाल नहरें कार्यशाील थी। नलकूपों व लघु डाल नहरों की सींच दर्ज करने हेतु खण्ड में केवल 20 नलकूप चालक (40 स्वीकृत पदों के सापेक्ष) व दो सींचपाल कार्यरत थे। खण्ड में नलकूप चालकों व सींचपालों के अभाव में खण्ड के अधिकांश नलकूपों व लघु डाल नहरों की सींच दर्ज नही हो पर रही थी जिसके कारण शासन को प्रतिवर्ष जहॉ राजस्व की भारी क्षति हो रही थी, वही दूसरी ओर इन नलकूपों व लघु डाल नहरों के रख रखााव व विद्युत खर्च पर निरन्तर धनराशि व्यय करनी पड़ रही थी। अभिलेखों की आगामी जांच में यह भी प्रकाश में आया कि लघु डाल नहरों के प्रकरण में 22 में 20 लघु डाल नहरों में सींच दर्ज नहीं हो रही थी एवं 57 नलकूपों में विगत चार वर्षो (वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 तक) में कोई सींच दर्ज नही हुई थी । यदि उक्त 57 नलकूपों का औसतन निकास 20000 गैलन प्रति घंटा (न्यूनतम निकास दर 22500 गैलन प्रति घंटा से भी कम) होता एवं नलकूप प्रति दिन औसतन 6 घंटे (दिन के कुल घंटो का एक चौथाई) चला होता तो उक्त वर्षो में शासन को राजस्व की निम्नानुसार प्राप्ति होती–

औसतन निकास × 6 माह में कुल घन्टे × दर × वर्षो की संख्या जिनमें

प्राप्त राजस्व = सींच दर्ज नही हुई × उन नलकूपों की संख्या जिनमें सींच नही हुई

10,000 गैलन (खरीफ हेतु) अथवा 5000 गैलन (रबी हेतु)

खरीफ = $\frac{20{,}000 \times 1080 \times 2.40 \times 4 \times 57}{10{,}000} = 11{,}81{,}952.00$

रबी = $\frac{20,000 \times 1080 \times 2.40 \times 4 \times 57}{5,000}$ = 23,63,904.00

योग (प्राप्त राजस्व) 35,45,856.00

अर्थात रू0 35.45 लाख

स्पष्ट है कि उक्त वर्षो में सींच दर्ज न होने के कारण शासन को राजस्व के रूप में कम से कम रू0 35.45 लाख की क्षति हुई।

इंगित करने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण सींच दर्ज नही हो पा रही है जिस कारण राजस्व की हानि परिलक्षित हुई किन्तु लिफ्ट एवं नलकूप चलित अवस्था में संचालित हो रहे हैं जिससें काश्तकारों को लाभ मिल रहा है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यह सत्य है कि विभाग/खण्ड में नलकूप एवं लिफ्ट चालकों का अभाव हैं एवं इनकी मांग समय समय पर की जाती रही है, किन्तु यह भी सत्य है कि खण्ड द्वारा प्रतिवर्ष सींच लक्ष्यों का गलत निर्घारण कर उनकी पूर्णप्रप्ति दर्शायी जा रही है। अतः कर्मचारियों की कमी के बावजूद सींच लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात् कर्मचारियों की मांग का औचित्य अर्थहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त नलकूपों के संचालन के कारण काश्तकारों को तो लाभ मिल रहा है, परन्तु उचित लागत वसूली न हो पाने से शासन को अतिरिक्त व्यय भार वहन करना पड़ रहा है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 3- रू. 135.00 लाख की लागत सामग्री का अनियमित क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादूनः- दिनांक 01 मई 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्युरमेंट) नियमावली 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

अध्याय-2 सामग्री

सामग्री के लिए बिना दर सूची (कोटेशन) की क्रय

8. जहां क्रय की जानेवाली सामग्री का मूल्य रू. 15000 (रू. पन्द्रह हजार तक) तक हो, प्रत्येक ऐसे अवसर पर ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति, बिना कोटेशन/निविदा के , खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नांकित प्रारूप में प्रमाण पत्र अभिलिखित करने पर की जा सकती हैः-

क्रय समिति के माध्यम से सामग्री का क्रय

9. प्रत्येक अवसर पर रू. 15000 (रू. पन्द्रह हजार) से अधिक तथा रू. 100000 (रू. एक लाख) तक की लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखापरीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी होगा।

दर संविदा के अधीन सामग्री का सीधे क्रय

10(1) ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हे सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिसकी सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार बार आवश्यकता होती है उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दर संविदा की जा सकती है। ऐसी दर संविदाओं का विवरण विभागों/शासन की वेवसाईट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिये गये मूल्य से अधिक ना हो।

(2) दर संविदाए सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेगी तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार चढाव होता रहता है या जहॉ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर संविदा की जा सकती है और ऐसे सामग्री के बाजार भाव पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशेष परिस्थितियों में वित्तीय विभाग की सहमति से विभाग को भारत सरकार के केन्द्रीय क्रय संगठन यथा पूर्ति और निपटान महानिदेशक (डी.जी.एस. एण्ड डी.) दवारा की गयी दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा

13 (1) रू0 2500000 (रूपये पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाये। रू. 2500000 (रूपये पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन करने वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों और विशेष मामले में व्यापक परिचालन करने वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये।

(2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाये तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) की वेबसाइट से भी सम्बन्ध होने चाहिए।

कार्यालय नलकूप खण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के द्वारा माह 10/2017 से माह 05/2018 तक विभिन्न संविदाकारो फर्म जिनका मुख्य कार्य केवल संविदाकार है, उनसे कोटेशन प्राप्त कर कुल रू. 13496782.00 की सामग्रियों का क्रय टुकड़ो में प्रत्येक दिन या दूसरे दिन क्रयादेश जारी करके किया गया था। जोकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लेखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। जिन संविदाकार फर्मों से सामग्री का क्रय किया गया है उनका विवरण इस प्रकार है।

संविदाकार फर्म का नाम	कुल रु. की क्रय सामग्री
1 Naman Enterprises dehradun	25,31,599.00
2 V.K. Engineering Meerut	30,42,600.00
3 Muskan Associated D.Dun	19,70,483.00
4 Sardar Tubewell Roorkee	42,11,702.00
5 Supra Electrical D.Dun	17,40,398.00
Total	1,34,96,782.00

जबकि शासन द्वारा जारी उत्तराखण्ड प्रिक्योरमेंट नियमावली 2008 में सामग्री का क्रय निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष चिन्हित क्रय की जाने वाली सामग्री की निविदा आमंत्रित कर दर संविदा के द्वारा ख्याति प्राप्त फर्मों से किया जाना था, ऐसा करने जहॉ एक ओर शासन के प्रतिस्पर्धा दरों का लाभ भी प्राप्त होता, वही उच्च कोटि की सामग्री भी प्राप्त होती परन्तु कार्यालय के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, बल्कि खण्ड के द्वारा जिन फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर उनकी दी गयी दरों को अनुमोदित करके सामग्री का क्रय पर भुगतान किया गया था, वह संविदाकार फर्में उस चिन्हित सामग्री के लिए विनिर्माता फर्म से थोक विक्रेता के लिए अधिकृत नहीं थी।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर बताया गया कि समस्त आपूर्ति करता सामग्री के लिए विनिर्माता फर्म के अधिकृत थोक विक्रेता है, जो कि नियमानुसार विभाग में

पंजीकृत है। संचालित विभागीय योजनाएं नाबार्ड, जिला योजना के रख रखाव आदि में धनवांटन शत प्रतिशत एक मुश्त प्राप्त न होकर किस्तों में होता है। कार्य का सम्पादन आवंटन के अनुरूप कराया जाता है। कार्य स्थल की प्रगति तथा उपलब्ध सामग्री के सापेक्ष सामग्री का क्रय किया जाता है।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि खण्ड कार्यालय के द्वारा जिन संविदाकार फर्मों से सामग्री का भण्डार कर भुगतान किया गया था, वह विनिर्माता फर्मों के अधिकृत विक्रेता नहीं थे, अभिलेखों के अनुसार उसका मुख्य व्यवसाय ठेकेदारी करना ही था, विभाग में उनका पंजीकरण भी ठेकेदारी के लिए ही करा गया है, इसके अलावा उनके अभिलेखों के अनुसार जर्नल आडर सप्लायर का भी कार्य करते है। इसलिये शासकीय नियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही रू. 13496782.00 मूल्य की लागत सामग्री का क्रय किया जाना बजट मैनुअल, वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली 2008 में सामग्री का क्रय करने के निहित प्रावधानों के विरूध्द था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर 4- रू0 10.60 लाख का निष्फल व्यय तथा रू0 99.35 लाख का अधिक प्राक्कलन गठित कर अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त विभाग संख्या 177/XXXVII(7)/2008 देहरादून :– दिनांकः 01 मई, 2008 को जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 अधिसूचना प्रकीर्ण

रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रु0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए। नियम 42 (2) बचतों के सम्बन्ध मे ंयदि किसी स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष वास्तविक कार्य पूर्ण होने पर कोई बचत हो, तब ऐसी धनराषि का प्रयोग अन्यत्र या अतिरिक्त कार्य में न किया जाय, जब तक कि इस प्रकार की बचतों का उपयोग अन्यत्र करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो।

कार्यालय नलकूप खण्ड देहरादून की लेखापरीक्षा करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में नाबार्ड द्वारा शासनादेशा संख्या 350/।।–2016–40(17)/2016 दिनांक 20 फरवरी 2017 के द्वारा जनपद देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर ग्राम अपर छरबा में नलकूप संख्या 40 डी0डी0 के पुर्ननिर्माण की योजना दिनांक 22.12.2016 को रू0 99.35 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनीक स्वीकृत दी गयी थी। आवंटित धनराशि से नलकूप संख्या 40 डी0डी0 का पुर्ननिर्माण करने के लिये नलकूप खण्ड कार्यालय देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड प्रिक्योरमेंन्ट नियमावली 2008 के प्रावद्यानों के विपरीत जाकर(बिना निविदा आंमत्रित किये ही) चयनित अनुबन्ध संख्या 09/ई0ई0/2016–17 रू0 43,96,020.00 का आगणन के सापेक्ष रू042,08,000.00 का चयनित अनुबन्ध दिनांक 26.11.2016 को गठित कर छीद्रण का कार्य प्रारम्भ भी करा दिया गया था,जिसमें कार्य की समाप्ति की तिथि 25. 01.2017 थी, कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 29.06.2017 थी। जिसका भुगतान भी वाउचर संख्या 122 माह 10/2017 रू0 24,14,695.00 एवं वाउचर सं0 14 माह 9/2017 रू0 25,07,604.00 से कुल रू0 49,22,299.00 मैसर्स उत्तरांचल बोरबैल जी0टी0रोड भगवानपुर जिला देहरादून को 6 प्रतिशत वैट की कटौती रू0 2,95,338.00 किये बिना ही कर दिया गया था। जबकि सक्षम अधिकारी के द्वारा आगणन की दरों पर प्राविद्यिक स्वीकृत दिनांक माह 9/2017 को प्रदान की गयी थी। वह भी अधिक धनराशि की दी गयी थी, क्योकि बनाये गये आगणन में जो दरें ली गयी थी, उनमें वैट प्राविद्यानों के

अनुसार समस्त कर सम्मलित थे। उन्ही दरों पर चयनित अनुबन्ध,गठित किया गया था। जबकि सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राक्कलन में जो दरों की स्वीकृत प्रदान कर की गयी थी, उसमें ली गयी दरों में वैट सम्मलित था। जब प्राक्कलन रू0 99.35 लाख में ली गयी एस0ओ0दरों में वैट पूर्व से ही सम्मलित था तो कर पर कर रू0 10,45,848.48 जी0एस0टी0 अधिक धनराशि की प्राक्कलन पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। (चयनित अनुबन्ध में भी वर्ष 2007–08 की डीलिग की दरें रू0 19292.00 ली गयी है, जिसमें सभी कर सम्मलित थी।) खण्ड कार्यालय द्वारा उच्चधिकारीयों से यह कहकर अनुमति ली गयी थी कि गठित आगणन की दरों से कम दरों पर चयनित अनुबन्ध गठित करने से शासन को रू0 1,88,020.00 की बचत होगी। परन्तु जब कार्य पूर्ण हुआ तो संविदाकार को विभाग के द्वारा रू0 42,08,000 लाख के स्थान पर 49,222,99.00 लाख का भुगतान किया गया जिससे शासन को आगणन की लागत से रू0 1,88,020.00 की बचत ना होकर अधिक रू0 714299.00 लाख का भुगतान करना पडा। विभाग के इस कृत से जहॉ एक ओर शासन को प्रतिस्पर्धा दरों के लाभ से वंचित रहना पडा, बल्कि संविदाकार को आगणन की कुल धनराशि का 17 प्रतिशत अधिक भुगतान भी करना पडा। विभागीय नलकूप को चलाने के लिये नलकूप आपरेटर नही है, बल्कि गॉव के None Technical कास्तकारों के द्वारा शासकीय नलकूप को चलाया जाता है, जिसके चलाने का कोई भी लेखा जोखा अर्थात सींच दर्जा नही की जाती है, और ना ही नलकूप का उचित रख–रखाब मानकों के अनुसार किया जाता है,इसलिये शासकीय नलकूप अपनी निर्धारित आयू 17 वर्ष और 57000.00 घण्टे पूर्ण नही कर पाते है।

इस सम्बन्ध में वर्ष 2009 में पुर्ननिर्माण दशाये गये नलकूप के अभिलेखों में भी पाया गया कि वर्ष 2007–08 में पुर्ननिर्माण की योजना रू0 39.23 की बनायी गयी थी, जिसके लिये वर्ष 2008–09 में जिला योजना से रू0 10.60 लाख रू0 प्राप्त हुआ था,जिसके अन्तर्गत खण्ड कार्यालय के द्वारा विकसन–1न. पर रू0 1.00 लाख पम्प गृह व डी0टी0–1 नं0 पर रू0 1.00 लाख,बी0एण्ड एल0फार्म का प्रेषण–1नं0 पर रू0 3.60 लाख एवं जल वितरण प्रणाली का पुननिर्माण–0.5 किमी पर रू0 5.00 लाख कुल रू0 10.60 लाख व्यय करके भौतिक प्रगति माह 3/2009 में 0.550 प्रतिशत दर्शायी गयी थी। उसके बाद से जिला योजना एवं अन्य किसी योजना से नलकूप का पुर्ननिर्माण करने हेतु धनराशि खण्ड कार्यालय को प्राप्त नही हुई थी। इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा नलकूप के पुननिर्माण करने हेतु छिद्रण का अनुबन्ध गठित करने हेतु कोई निविदा आमत्रित ही नही की गयी थी, और ना ही कोई चयनित अनुबन्ध पुरानी दरों पर गठित किया गया था, अर्थात जब योजना को पूर्ण करने के लिये फैल घोषित तिथि तक धनराशि का आवंटन ही नही किया था, इसलिये वर्ष 2009 मे 40 डी0डी0 पुर्ननिर्माण नलकूप का निर्माण केवल अभिलेखों में ही हुआ था, धरातल पर नलकूप पुर्ननिर्माण नही था।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि पुर्ननिर्माण नलकूप को अन्य मदों से हुयी बचत से योजना को पूर्ण किया गया था।

विभागीय उत्तर मान्य नही था। क्योकि सम्प्रेक्षा में यह पूछने पर की किस स्वीकृत योजना मदों की बचत धनराशि से वर्ष 2009 में पुर्ननिर्माण नलकूप संख्या 40 डी0डी0 को पूर्ण किया गया था,सम्प्रेक्षा तिथि में बचत अभिलेख एवं सक्षम अधिकारी की 40 डीडी को बचत धनराशि की व्यय स्वीकृत आदेश/ साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गये थे। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 42 (2) के अनुसार ही बचत धनराशि का व्यय किया जा सकता था। वर्ष 2016–17 में पुननिमार्ण की स्वीकृत शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन दी गयी थी, जिसमें यह कहा गया था कि धनराशि के व्यय करने से पूर्व भूगर्भीय सर्वेक्षण करा ले,तथा यह सुनिशिचित कर ले कि पुर्ननिर्माण करने पर नलकूप सफल हो सकेगा। परन्तु खण्ड के द्वारा ऐसा नही किया गया बल्कि नलकूप के पुर्ननिर्माण हेतु काश्तकारों द्वारा सुझाये एवं उपलब्ध कराये गये चयनित स्थल पर ठेकदार मै0 उत्तरांचल बौरबैल भगवानपुर हरिद्वार द्वारा 800 फीट गहराई तक छिद्रण किये जाने के उपरान्त भी मानकों के अनुसार स्ट्रेटा/जल उपलब्ध नही हो पाया, तत्पश्चात काश्तकारों से समझौता इत्यादि कर कार्य को कराने के लियें अन्य स्थान का चयन किया गया था, जिससे अतिरिक्त समय दिनांक 26.01.2017 से दिनांक 29.06.2017 (155 दिवस) लग गया था। पुर्ननिर्माण नलकूप में सभी निर्माण कार्य एवं एसेम्बली नयी लगायी है, जैसा कि आगणन की दरों से विदित है। मुख्य अभियन्ता के पत्रांक संख्या 5711 दिनांक 19 अगस्त 2015 का अनुपालन भी पुर्ननिर्माण कराने से पूर्व पुरानी एसेम्बली को निकाल लिया जाये खण्ड कार्यालय के द्वारा उसका भी अनुपालन सम्प्रेक्षा तिथि तक सुनिशिचित नही किया गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 5- बिना कार्य कराये वेतन का भुगतान रू0 1308077.00

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड, देहरादून में वाहन चालक के कुल स्वीकृत दो (02) पद के सापेक्ष सात (07) वाहन चालक की तैनाती की गई है। पुनः खण्ड द्वारा चालू हालत के वाहन एवं उस पर पदस्थापित चालकों की सूची में कुल चार (04) वाहन चालकों की पदस्थापित दिखाया गया है। जिसका विवरण निम्न हैः–

क्रं.स.	नाम	प्दनाम	वाहन सं0 जिस पर चालक की तैनाती की गई
1	श्री महिमानन्द	वाहन चालक	UGI-7837 महेन्द्रा जीप
2	श्री दौलत सिंह रावत	वाहन चालक	UA07Q-2060 महेन्द्रा बोलेरो
3	श्री सुनील कुमार त्यागी	वाहन चालक	URM-1950 टाटा ट्रक
4	श्री राजू	वाहन चालक	URM-1950 टाटा ट्रक
5	श्री मोहन सिंह रावत	वाहन चालक	-
6	श्री राम सिंह	वाहन चालक	-
7	श्री मो0 इरफान	वाहन चालक	-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तीन चालकों की तैनाती किसी भी वाहन पर नहीं की गई। लेखा परीक्षा द्वारा यह वृच्छा किए जाने पर कि तीन वाहन चालकों से क्या कार्य लिया जाता है, खण्ड, द्वारा बताया गया कि दो वाहन चालकों से कोई कार्य नहीं लिया जात है जबकि एक चालक से उनकी इच्छा से नलकूप संचालन का कार्य कराया जाता है परन्तु इससे **संबन्धित** साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार तीन वाहन चालकों को लेखा परीक्षा अवधि (8/17 से 7/18) तक बिना कार्य कराये रू0 1308077 वेतन भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 6- रु 158.01 लाख राशि ग्राहक विभाग को एव रु 26.79 लाख राजस्व को जमा नहीं किए जाने का प्रकरण।

(क) वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 634 के अनुसार डिपॉजिट निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए । लेखापरीक्षा मे पाया गया की निम्नलिखित संलग्न विवरण के अनुसार पूर्ण निर्माण कार्यो की अवशेष धनराशि खंड स्तर पर अवरुध्द पड़ी है ।

धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात वर्ष 1994 से 2014 के मध्य खंड स्तर पर अवरुध्द पड़ी एव वर्तमान तक कुल अवशेष रु 158.01 लाख है । जबकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य यथाशीघ्र ग्राहक विभाग को हस्तगत करके एवं कार्य से संबन्धित लेखे बंद करके अवशेष धनराशि ग्राहक विभाग को वापस कर देनी चाहिए परंतु इस धनराशि को खंड स्तर पर अवरुध्द रखा गया है ।

क्रम संख्या	डिपॉजिट पार्ट	अवशेष धनराशि रु
1	पार्ट -4	26,90,392
2	पार्ट -5	1,31,10,625
	कुल रु	158.01 लाख

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- समायोजन की कार्यवाही की जा रही है पत्राचार किया जा रहा है उतार मान्य नहीं है क्योकि धनराशि वर्ष 1994 से 2014 के मध्य की है सभी कार्यवाही पूर्ण हो जानी चाहिए थी अर्थात ग्राहक विभाग को राशि रु 158.01 लाख वापस हो जानी चाहिए थी।

(ख) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षो तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत राशि को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं किए जाने पर व्यपगत जमा के रूप मे राज्य सरकार को राजस्व के रूप मे जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि रु 26,79,494 लाख धनराशि डिपॉजिट रजिस्टर मे वर्ष 1994 से 2013 तक की अवधि मे अदावाकृत राशि के रूप मे तीन वर्षो से अधिक समय से लंबित पड़ी है ।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि- समायोजन की कार्यवाही की जा रही है, उत्तर मान्य नहीं है क्योकि प्रकरण 1994 से 2013 के मध्य के है अब तक समायोजन हो जाना चाहिए था ।

अत रु 158.01 लाख राशि ग्राहक विभाग को एव रु 26.79 लाख राजस्व को जमा नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर 1- रु 38.74 विविध अग्रिम एव 167.82 लाख (-) डिपॉजिट, वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि , त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुध्द विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 6/2018 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुध्द विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मों/ ठेकेदारों के विरुध्द विविध अग्रिम की धनराशि रु 38,74,518.75 लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे विगत लेखापरीक्षा मे भी प्रस्तर जारी किया गया था परंतु समायोजन की कोई कार्यवही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि -पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु 38.74 लाख की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

(ख) खंड की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित धनराशिया कार्यो के सापेक्ष ऋणात्मक दर्शायी गयी है अर्थात उपलब्ध धनराशि से अधिक व्यय किया गया है। जबकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 580 के अनुसार जब तक धनराशि उपलब्ध न हो तो व्यय नहीं किया जाना चाहिए यदि अधिक व्यय हो जाये तो विभाग के विरुध्द विविध अग्रिम डाल कर वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु रु 167.82 लाख धनराशियों की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि-उत्तर प्रदेश राज्य विधुत परिषद से धनराशि प्राप्त नहीं होने (-) अवशेष हुआ है पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि 167.82 धनराशि वसूली हेतु 1995 से 2005 के मध्य की है ।

अत: रु 38.74 विविध अग्रिम एव 167.82 लाख (-) डिपॉजिट, वसूली हेतु लंबित राशि का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2- रु 155.65 लाख स्टॉक अवशेष सामग्री का असमायोजित रहना ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए ।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका वर्ष /माह 6/18 मे स्टाक अवशेष के रूप मे स्टाक रु 1,55,65,240.00 की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है ,खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है , यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से अवशेष है। इस सम्बन्ध मे इंगित करने पर विभाग ने अपने उतार मे बताया कि- आगामी माहों मे समायोजन कर लिया जाएगा यह सामग्री कब क्रय की गयी है इस सम्बन्ध मे बताया गया कि क्रय माह इंगित करने मे कठनाई है क्योकि स्टॉक रजिस्टर मे सामग्री मद कई वर्ष पूर्व से चली आ रही है समय-समय पर प्राप्ति व निर्गमन होता रहता है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि सामग्री का क्रय बिना आवश्यकता के किया गया है ।

अत: रु 155.65 लाख की अवशेष सामग्री का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

STAN

प्रस्तर 3-: धीमी प्रगति के कारण रु 102.34 लाख राशि व्यय होने पर भी किसानो को 225 है0 भूमि की सिचाई के लाभ से वंचित रखा जाना ।

शासनादेश संख्या 2706(1)/11-2016 -04(17) /2016 दिनांक 16/11/2016 के द्वारा 3 नलकूपो के निर्माण हेतु रु 242.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी इसी क्रम मे नाबार्ड द्वारा स्वीकृति की राशि 230.38 लाख थी, इन नलकूपो के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति रु दिनांक 08 /11/2017 को रु 240.28 लाख प्रदान की गयी थी इन नलकूपो के निर्माण हेतु 3 अनुबन्धो का गठन किया गया था ग्राम जमनीपुर रु 40.93 लाख प्रारम्भ 18/11/2016 कार्य पूर्ण 17/01/2017 थी, ग्राम फतेपुर रु 40.85 लाख प्रारम्भ 18/11/2016 कार्य पूर्ण 17/01/2017 थी, ग्राम लखनपुर रु 40.85 लाख प्रारम्भ 18/11/2016 कार्य पूर्ण 17/01/2017 थी नलकूप सामग्री की आपूर्ति कार्यालय द्वारा की जानी थी । फतेहपुर ग्रांट के नलकूप के लिए 225 वर्ग मीटर भूमि की जरूरत थी इसके लिए आगणन मे रु 7,42,500 का प्रावधान भी किया गया था इस नलकूप हेतु भूमि का अधिग्रहण हो गया है परंतु लखनवाला के लिए रु 427500, जमनीपुर के लिए रु 585000 प्रावधान किया गया था परंतु बिना भूमि अधिग्रहण के ही निर्माण कार्य किया गया था । वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 378 के अनुसार जब भूमि का अधिग्रहण न हो जाए निर्माण कार्य प्रारम्भ न किया जाए । इस निर्माण कार्य पर रु 240.28 लाख के सापेक्ष रु 102.34 लाख राशि व्यय की गयी है एव तीनों नलकूप पूर्ण नहीं हुए है। 225 है० भूमि को सिचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योकि कोई सींच दर्ज नहीं की गयी थी। 2 नलकूपो का तो ऊर्जीकरण भी नहीं किया जा सका है । एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने पर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है , भूगर्भवेता की आख्या इस कार्य मे प्राप्त नहीं की गयी है जिला स्तर गुणवत्ता की जांच हेतु किसी प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया है रेजिस्तिविटी टेस्ट नहीं कराया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे गुणवत्ता सम्बन्धी जांच नहीं किए जाने को स्वीकार किया कि- कार्य अपूर्ण रहने के सम्बन्ध मे बताया कि समय -समय पर धन उपलब्ध के कारण एव खेतो मे फसल व वर्षा के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है,अधिग्रहण के बारे मे बताया की 1 नलकूप की भूमि का अधिग्रहण कर लिया है ।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि कार्य पूर्ण की तिथि अनुबंध के अनुसार दिनांक 17/1/2017 थी ।

अत: धीमी प्रगति के कारण रु 102.34 लाख राशि व्यय होने पर भी किसानो को 225 है0 भूमि की सिचाई के लाभ से वंचित रखने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
6/2001-02	2		
81/2005-06	1,2		
64/2007-08	1,2,3		
73/2010-11	1	1	
80/2011-12	-	1	
11/2013-14	-	1	
43/2015-16	-	1,2,3	
50/2016-17	-	1,2,3	
28/2017-18	-	1,2,3	1
योग	**7**	**12**	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु ...अधिशासी अभियंता नलकूप खंड , सिचाई विभाग देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1)	श्री वीरेन्द्र सिंह पाल	अधिशासी अभियंता

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (1) श्री खुशाल सिंह राणा

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता नलकूप खंड ,सिचाई विभाग देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 ,को प्रेषित की जाए ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र-2